

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 36/11

संस्थापन दिनांक:-22/02/11

फाईलिंग नं. 233504000222011

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. सोनू पिता लक्ष्मण राठौर, उम्र 19 वर्ष
  2. मोनू पिता लक्ष्मण राठौर, उम्र 20 वर्ष
  3. लक्ष्मण पिता जगन राठौर, उम्र 50 वर्ष
- तीनों निवासी राठौर मोहल्ला आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 15.02.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.12.2010 को 12:30 बजे राठौर मोहल्ला आमला में सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत सुभाष की मारपीट किसी धारदार वस्तु से कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 31.12.2010 को दोपहर 12:30 बजे उसके घर के सामने खाद की बोरियां छांट रहा था तभी अभियुक्त मोनू कंडे थोपने की बात पर से उन्हें मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगा। उसके द्वारा अभियुक्त मोनू को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त लक्ष्मण एवं सोनू वहां आये और तीनों अभियुक्तगण उसे गालियां देकर हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे। मारपीट से उसकी बांयी आंख पर चोट आयी। जब उसकी बहू कविता और कल्पना ने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण ने उनके साथ झूमा झटकी और हाथ मुक्की की। इसके बाद उसके लड़के सुभाष और दिलीप ने वहां आकर बीच बचाव किया तो मोनू ने किसी धारदार चीज से सुभाष को मारा जिससे सुभाष के दाहिने हाथ के पंजे की अंगुली पर चोट लगकर खून निकला था। दिलीप द्वारा बीच बचाव करने पर दिलीप के दांये हाथ के पंजे पर चोट आयी थी। अभियुक्तगण ने उन्हें जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 352/10 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया, मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादीगण का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 324/34 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत सुभाष की मारपीट किसी धारदार वस्तु से कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

#### **विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

6 लक्ष्मण (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किय है कि अभियुक्त लक्ष्मण ने विवाद के समय उसे गुस्से में बांथी पसली के पास मार दिया था। अभियुक्त लक्ष्मण के मारने के बाद तीनों अभियुक्तगण ने उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट की तभी उसका लड़का सुभाष और दिलीप घर आये तो तीनों ही अभियुक्तगण ने लकड़ी और तलवार जैसी वस्तु से उसके बेटे सुभाष की मारपीट किये जिससे सुभाष को हाथ के पंजे में चोट आयी थी।

7 सुभाष (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि उसे उसके पिता लक्ष्मण ने फोन करके यह बताया था कि अभियुक्तगण सोनू, मोनू

और लक्ष्मण ने उसे मारा है। उपर्युक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि जब उसने अभियुक्तगण से इस बारे में कहा तो अभियुक्त मोनू ने उसे धारदार हथियार से मारा जिससे उसे दांये हाथ की हथेली में चोट आयी। अभियुक्तगण ने कल्पना और दिलीप के साथ भी झूमा झटकी की थी।

8 दिलीप (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में सुभाष (अ.सा.-2) के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसके पिता लक्ष्मण ने फोन पर बताया था कि अभियुक्तगण उन्हें मार रहे हैं तब वह और सुभाष घर पहुंचे तभी अभियुक्त मोनू ने धारदार हथियार से मारने के लिए दौड़ा तो उसके भाई सुभाष के दाहिने हाथ में चोट आयी। साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके एवं उसकी भाभी के साथ भी मारपीट की थी। कल्पना (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि अभियुक्त लक्ष्मण ने उसके ससुर की आंख के पास मुक्का मार दिया था तथा अभियुक्तगण उसे भी मारने के लिए दौड़े थे। अभियुक्त सोनू ने उसके पति सुभाष के दाहिने हाथ की हथेली में धारदार हथियार से मारा था। अनिता (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय उसने अपने ससुर लक्ष्मण की आंख में चोट देखी थी।

9 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-6) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 31.12.2010 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत सुभाष, दिलीप एवं लक्ष्मण का परीक्षण किया था जिसमें **आहत सुभाष** की बांयी हथेली पर 3 गुणा 0.5 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव एवं दाहिनी तर्जनी अंगुली के आगे तरफ 1.5 गुणा 0.5 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव पाया था तथा साक्षी ने आहत सुभाष को आयी चोटें धारदार वस्तु से पहुंचायी जाना प्रकट किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि **आहत दिलीप** के चिकित्सकीय परीक्षण करने पर आहत की दांयी तर्जनी अंगुली के पीछे 1 गुणा 0.5 सेमी. आकार का घिसड़ा का निशान पाया था जो उसे कड़ी एवं बोथरी वस्तु से पहुंचायी गयी थी तथा **आहत लक्ष्मण** का परीक्षण करने पर आहत की छाती में दाहिनी तरफ दर्द की शिकायत थी और आहत की बांयी आंख की झिल्ली कंजेस्टेड पायी थी। साक्षी ने आहत सुभाष के संबंध में दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3), दिलीप के संबंध में दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) एवं लक्ष्मण के संबंध में दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) को प्रमाणित भी किया है।

10 सरजेराव भौंसले (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 31.12.2010 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 352/10 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को ही मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-6) एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर

प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में सभी साक्षी एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा उनके कथनों में परस्पर विरोधाभास है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि प्रकरण में अभियोजन के द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह के फरियादी के रिश्तेदार होने के आधार पर ही उसकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011, एस. सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाह की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती। अतः साक्षियों के कथनों से यह देखा जाना है कि उन पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।

13 लक्ष्मण (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने घर के आंगन में खाद की बोरी से खाद निकाल रहा था। तभी अभियुक्त लक्ष्मण का बड़ा लड़का अभियुक्त मोनू आया और कंडे थोप दिये जाने की बात पर से उसकी पत्नी छोटीबाई से विवाद करने लगा। साक्षी ने आगे यह बताया कि जब उसने अभियुक्त लक्ष्मण और मोनू से कहा कि मुंह संभालकर बात करो तब अभियुक्त लक्ष्मण ने उसे बांयी आंख के पास मार दिया। इसके बाद तीनों अभियुक्तगण उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे। साक्षी ने यह भी बताया है कि बीच बचाव उसकी बहू ने किया था और जब उसके लड़के सुभाष और दिलीप घर आये तो तीनों अभियुक्तगण ने उन्हें लकड़ी और तलवार जैसी वस्तु से मारपीट की थी।

14 कल्पना (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर खाना बना रही थी तभी अभियुक्तगण घर के सामने आये और उसके ससुर के साथ गाली गलौच करने लगे। उसके ससुर ने अभियुक्तगण को मना किया तो अभियुक्त लक्ष्मण ने उनके चेहरे पर आंख के पास मुक्का मार दिया। साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त सोनू और मोनू उसके उपर दौड़े तथा उसकी देवरानी के साथ भी झूमा झटकी किये। उपर्युक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अपने पति सुभाष को दौड़ लगाकर घटना

के बारे में बताया तब सुभाष घर पर आया जिसे अभियुक्त सोनू ने धारदार हथियार से दाहिने हाथ की हथेली में काट दिया। अनिता (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि वह घटना के समय घर के अंदर थी। जब उसके ससुर लक्ष्मण घर के अंदर आये तो उसने देखा कि उनकी सीधी आंख में चोट है तथा पूछे जाने पर उसके ससुर ने बताया था कि अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट की है।

15 सुभाष (अ.सा.-2) एवं दिलीप (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि जब उनके पिता लक्ष्मण का फोन आया तब वे घर आये और देखा कि उनके पिता लक्ष्मण की आंख में नहीं दिख रहा है। साक्षीगण ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण मौके पर ही थे और जब उनसे इस बारे में बोला तो अभियुक्त मोनू धारदार हथियार लेकर आया। सुभाष (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्त मोनू ने उसे दांये हाथ की हथेली पर मारा था। दिलीप (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्त मोनू हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़ रहा था उसके भाई सुभाष ने हाथ आगे कर दिया तो उसे चोट आ गयी थी। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने कल्पना के साथ भी मारपीट की थी।

16 लक्ष्मण (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 03 में यह बताया है कि अभियुक्त लक्ष्मण ने जैसे ही किसी चीज से उसकी आंख पर मारा वह आंख पकड़कर बैठ गया। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि वह नाली में गिर गया था जिससे उसे चोट आयी थी और यह भी गलत होना बताया है कि रंजिश होने के कारण वह झूठ बोल रहा है। कल्पना (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके ससुर लक्ष्मण के चेहरे पर आंख के पास मुक्का मार दिया था तथा अभियुक्त सोनू और मोनू उसके उपर भी दौड़े थे।

17 सुभाष (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब विवाद शुरू हुआ था तब वह मौके पर नहीं था उसे फोन पर उसकी बहू और लड़की ने सूचना दी थी तो वह घर पर आया था तथा इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसने अभियुक्तगण द्वारा अपने पिता की मारपीट करते नहीं देखा था। दिलीप (अ.सा.-3) ने भी प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था और पिता के साथ मारपीट हो जाने के बाद वह और उसका भाई सुभाष घर आये थे। उपर्युक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे उसके भतीजे शिवम ने टेलीफोन पर सूचना दी थी। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि साक्षीगण जब उनके पिता के साथ मारपीट हो रही थी तब घटना स्थल पर नहीं थे परंतु सूचना मिलने पर घर पहुंचने के बाद अभियुक्तगण द्वारा उनकी मारपीट किये जाने के तथ्य पर

साक्षीगण प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहे हैं।

18 साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.-1), सुभाष (अ.सा.-2), दिलीप (अ.सा.-3), कल्पना (अ.सा.-4) एवं अनिता (अ.सा.-5) के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि सबसे पहले अभियुक्तगण द्वारा लक्ष्मण (अ.सा.-1) के साथ मारपीट की गयी तथा बीच बचाव कल्पना (अ.सा.-4) के द्वारा किया गया। तत्पश्चात फोन पर सूचना दिये जाने के बाद सुभाष एवं दिलीप आये तथा अभियुक्तगण से उनके पिता की मारपीट किये जाने की बात पर जब सुभाष और दिलीप के द्वारा पूछा गया तो अभियुक्तगण ने इनकी भी मारपीट की। यद्यपि सुभाष, कल्पना एवं दिलीप के कथनों में इस संबंध में विसंगति है कि किसके द्वारा फोन पर सूचना दी गयी तब सुभाष एवं दिलीप मौके पर पहुंचे। क्योंकि साक्षी सुभाष ने बताया है कि उसे उसकी बहू और लड़की ने फोन पर सूचना दी थी जबकि दिलीप ने यह बताया है कि उसे उसके भतीजे ने सूचना दी थी। जबकि कल्पना ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने स्वयं अपने पति सुभाष को दौड़कर बुलाया था एवं प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि बच्चों ने दौड़कर बुलाया था परंतु न्यायालय के मत तक उक्त विसंगति तात्त्विक नहीं है जिससे कि अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। क्यों कि उपर्युक्त साक्षीगण सुभाष एवं दिलीप आहत लक्ष्मण (अ.सा.-1) के साथ मारपीट होने के बाद मौके पर आने एवं उनके साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित रहे हैं।

19 अभियुक्तगण द्वारा कल्पना (अ.सा.-4) को मारपीट किये जाने का प्रश्न है, वहां स्वयं कल्पना (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि अभियुक्त सोनू और मोनू उसकी तरफ दौड़े थे। साक्षी कल्पना के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ हाथापाई या मारपीट की हो। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा कल्पना (अ.सा.-4) के साथ मारपीट किया जाना नहीं माना जा सकता। आहत सुभाष, लक्ष्मण एवं दिलीप के चिकित्सकीय प्रतिवेदन रिपोर्ट पर उपर्युक्त तीनों आहतगण का मेडिकल परीक्षण क्रमशः दोपहर 01:30, 01:50 एवं 02:05 मिनट पर किया जाना प्रकट हो रहा है। घटना दिनांक 31.12.2010 की दोपहर के 12:30 बजे की है और थाने पर सूचना की रिपोर्ट तत्काल पश्चात 13:10 बजे लेख करायी गयी है। आहतगण को उनके द्वारा बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि चिकित्सकीय साक्षी डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-6) की साक्ष्य से भी होती है।

20 अभियुक्तगण का एक साथ मौके पर आना और फरियादी एवं आहतगण की मारपीट करना उनके सामान्य आशय को दर्शित करता है तथा अभियुक्तगण के द्वारा आहतगण पर प्रहार किया जाना उनके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसे कोई तथ्य भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो।

### विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

21 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लक्ष्मण एवं दिलीप को मारपीट कर स्वेच्छया मारपीट की गयी तथा आहत सुभाष को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। धारा 323/34 भा.दं.सं. के आरोप के संबंध में अभियुक्तगण को राजीनामा आवेदन के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है। फलतः अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

22 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

**पुनश्च :-**

23 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आहत को धारदार वस्तु से मारपीट कर उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

24 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा आहत को धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

25 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में निर्णय के पूर्व उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा कर

लिया गया है। अभियुक्तगण एवं फरियादी पड़ोसी हैं। प्रकरण पांच वर्ष से लंबित है। अभियुक्तगण द्वारा विचारण में निरंतर सहयोग किया गया है। अतः संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात यदि अभियुक्तगण को कारावास से दंडित किया जाता है तो राजीनामा का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अतः अभियुक्तगण को मात्र अर्थदंड से दंडित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। फलतः अभियुक्तगण सोनू, मोनू एवं लक्ष्मण को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के आरोप में 300/- 300/- रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

26 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500/- रुपये आहत सुभाष पिता लक्ष्मण निवासी राठौर मोहल्ला, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

27 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

28 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)